



बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खॉ मार्ग, पटना-800 014

संख्या- FC/08/2022- 700

प्रेषक,

अरविन्दर सिंह, भा०व०से०,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

पटना 14, दिनांक- 04/10/2023

विषय-

श्री संजय कुमार यादव द्वारा बांका जिलान्तर्गत जमखुट मौजा के खाता संख्या-09, खेसरा संख्या-310, थाना संख्या-201/1, थाना-कटोरिया में बांका-कटोरिया पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01278 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग-

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्रांक FP/PB/Approach/151337/2022/1196, दिनांक 14.06.2023

महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा वन भूमि अपयोजन की सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक सहमति (Stage-I) पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता एजेंसी के पत्र दिनांक 12.09.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है, जो निम्नवत है-

क्र० सं०	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची का पत्र दिनांक 14.06.2023 में निहित कंडिका	अनुपालन
A: Conditions which need to be complied prior to handing over of forest land by the State Forest Department.		
1	The User agency shall transfer the const of raising and maintain the compensatory afforestation (100 trees plantation and maintenance for 10 year) at the current wage rate in consultation with state forest department in the account of CAMPA of the concerned State through online portal.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा हरितावरण को बनाये रखने के लिए 100 वृक्षों के रोपण तथा उनके 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु० 8,65,161.00 (रु० आठ लाख पैसठ हजार एक सौ एकसठ) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270151337554, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 30.08.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- UCBAH23242243825 है। उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।

2	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.01278 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the order of the Hon'ble Supreme Court of India dated	NPV मद में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा 0.01278 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9,57,780/- प्रति हे० की दर से कुल रु० 12,240/- (बारह हजार दो सौ चालीस रुपये) मात्र की राशि को बिहार राज्य हेतु निर्धारित Account No.- 1506270151337554, BIHAR CAMPA, Union Bank of India, Bengaluru में e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 30.08.2023 को जमा करा दी गई है, जिसका UTR No.- UCBAH23242243825 है । उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred deposited to CAMPA fund only through e-portal	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी प्रकार की राशि e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर दिनांक 30.08.2023 को राशि जमा करा दी गई है (बैंक e-challan RTGS/ NEFT की विस्तृत विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न)।
4	The FRA, 2006 certificate as per ministry's guidelines shall be submitted before the issuance of final approval	जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न भेजा जा रहा है।
5	Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।
6	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website पर अपलोड कर दिया गया।

B: Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the User Agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage – II approval:

1	Legal status of forest land proposed for diversion shall remain unchanged.	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	The state forest department shall plant 100 trees to maintain the green cover at the project cost. Plantation site for the purpose shall	100 पौधों के रोपण हेतु 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा जमा करा दी गयी है। अंतिम स्वीकृति के उपरांत उक्त कार्यों को वन विभाग के द्वारा किया जायेगा।
3	Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होती है, तो उसका भुगतान करेंगे।
4	Seven plants are available between the entry and exit paths of the proposed forest land. So, the user agency needs to submit	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा Undertaking (छायाप्रति संलग्न) दिया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि के प्रवेश एवं निकास पथ के बीच में उपलब्ध 07 (सात) वृक्षों को सुरक्षित रखा जायेगा।
5	The approach road to petrol pump/fuel station should be as per	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
a	Fuel station should generally be part of rest area complex having	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
b	Suitable signs and markings showing the location of the fuel	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

c	Entire Periphery of the retail outlet should be lined up with	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
d	Suitable plantations should be raised by the user agency along	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
6	Wherever possible and technically feasible, the User Agency	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
7	The User Agency shall ensure that the loaboures and staff engaged in construction acitivity do not	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
8	The lay out plan of the proposal shall not be changed without	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
9 (a)	The forest land shall not be used for any purpose other than	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(b)	The period of diversion under this approval shall be	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
(c)	The forest land proposed to be diverted shall under	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।
10	Any other conditions that the Ministry of Environment,	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा सूचित किया गया है कि इन शर्तों का अनुपालन उनके द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) में अधिरोपित सभी शर्तों का अनुपालन किया गया है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से विषयाधीन परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01278 हे० सुरक्षित वन घोषित पथ किनारे की भूमि के अपयोजन हेतु अंतिम स्वीकृति (Stage - II) निर्गत करने का अनुरोध करने की कृपा की जाय। प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार का अनुशंसा प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(अरविन्दर सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),

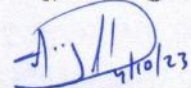
-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- FC/08/2022-700

दिनांक- 04/10/2023

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर / वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका वन प्रमंडल, बांका एवं श्री संजय कुमार यादव, पिता-श्री त्रिभुवन यादव, ग्राम-जमखुट, पोस्ट-रणघट्टा, थाना-कटोरिया, जिला-बांका, पिन-813103 को सूचना हेतु प्रेषित।


(अरविन्दर सिंह)

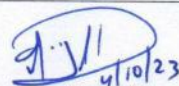
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)

-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),

बिहार, पटना।

Proforma

1	Name of Regional Office	Eastern Region, Ranchi				
2	State/Distt./ Forest Division to Which the proposal Relates	Bihar/Banka/ Banka Forest Division, Banka.				
3	Name of User Agency nature of proposal	Shree Sanjay Kumar Yadav/IOCL Retail Outlet				
4	Extent of forest area involved	0.01278 Ha.				
5	Whether Original, or extension	Original				
6	If extension of lease, Pl clarify if proposal involves additional forest area, and if so, specify	-NA-				
7	Date of 1st stage Clearance	21.08.2023				
8	Extent of CAMPA charges head wise viz.					
	a.Compensatory Afforestation	8,65,161.00				
	b. Additional CA	-NA-				
	C. Penal CA	-NA-				
	d. Catchment Area Treatment	-NA-				
	e. Wildlife Management Plan	-NA-				
	f. Additional Charges for diversion of area falling under notified/Protected areas	-NA-				
	g. Net present Value	12,240.00				
	h. Any other charges/Levies (Pl Specify)	-NA-				
9	Details of Bank RTGS/NEFT head-wise against items indicated in paragraph	S.No	MODE Remtt.	UTR No. & Date	Amount	Head
		1	e-challan	UCBAH23242243825	12,240/-	NPV
		2		dt. 30.08.2023	8,65,161/-	CA
		Total-			8,77,401/-	
10	Whether deposited by RTGS, if so, the particulars & date of remittance	As above.				
11	Bank in which deposited, with date of deposition.	All above e-challan sent to Union Bank of India, Bengaluru on dt. 30.08.2023				
12	Any other remarks					



(Arvinder Singh)

Signature of APCCF (CAMPA)-
cum-Nodal Officer (FC), Bihar.

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 12/9/2023

विषय— श्री संजय कुमार यादव द्वारा बाँका जिलान्तर्गत जमखुट मौजा के खाता संख्या—09, खेसरा संख्या 310 थाना संख्या—201/1, थाना—कटोरिया में बाँका—कटोरिया पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.01278 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक FC/08/2022-453 दिनांक 23.06.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/151337/2022/1196, दिनांक 14.06.2023 द्वारा दो भाग में Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग—A में 1 से 6 एवं भाग—B में 1 से 10 शर्तें अधिरोपित की गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग—A

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,65,161/— मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 30.08.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. UCBAH23242243825 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.01278 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9.57780 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 12,240/— बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 30.08.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. UCBAH23242243825 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 के खाता में दिनांक 30.08.2023 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण—पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

6. मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website-
<http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग-B

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूँगा।
2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,65,161/- मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road Bengaluru-560027 में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 30.08.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. UCBAH23242243825 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
8. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- 9 (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
10. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

संजय कुमार यादव

संजय कुमार यादव,

पिता-श्री त्रिभुवन यादव,

ग्राम-जमखुट, पोस्ट रणघट्टा

थाना-कटोरिया, जिला-बांका

12/9/2023

50

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-08-2023

Agency Name.	SANJAY KUMAR YADAV
Application No.	70151337554
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/151337/2022
Location.	BIHAR
Address.	Sanjay Kumar Yadav So Tribhuvan Yadav Vill Jamkhut PO Ranghatta PS Katoria Dist BankaBanka
Amount(in Rs)	877401/-

Amount in Words :Eight Lakh Seventy-Seven Thousand Four Hundred and One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270151337554 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note:After making the required payment through ch even after 7 working days, then kindly mail a copy of id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@ubin0903710@unionbankofindia.bank

Pr

UTR NO

UCBAH23242243825

Sanjay Kumar Yadav

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

मेरे द्वारा वचनबद्धता दी जाती है कि बाँका जिलान्तर्गत खाता नं० 09 खेसरा नं० 310 थाना नं० 201/1 थाना-कटोरिया मौजा जमखूट में बाँका-कटोरिया पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट के किनारे प्रवेश एवं निकास पथ के बीच में उपलब्ध 07 (सात) वृक्षों को सुरक्षित रखा जायेगा।

संजय कुमार यादव

(संजय कुमार यादव)

कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका वन प्रमंडल, बांका

आजाद चौक, बाबू टोला, बांका-813102

E-mail—dfo.banka@gmail.com



पत्रांक— 1040

प्रेषक,

अभिषेक कुमार सिंह, (भा0व0से0)
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

बांका, दिनांक—09/07/2022

विषय :— बांका जिलान्तर्गत श्री संजय कुमार यादव द्वारा जमखूँट मौजा के खाता संख्या-09, खेसरा संख्या-310, थाना संख्या-201/1, थाना-कटोरिया में बांका-कटोरिया पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.01278 हे० वनभूमि अपयोजन के प्रमाण-पत्र भेजने के संबंध में।

प्रसंग :— जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका का पत्रांक-961/क० दिनांक-05-07-2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि, विषय से संबंधित FRA-2006 प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा निर्गत जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उक्त FRA-2006 प्रमाण-पत्र की 01 (एक) प्रति E-mail के माध्यम से भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि, FRA-2006 प्रमाण-पत्र स्वीकार करने की कृपा की जाय।
सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनु०—यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

ज्ञापांक— 1040

दिनांक—09/07/2022

प्रतिलिपि—अनुलग्न सहित अतिरिक्त प्रति के साथ वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

नीरज
09/07/22

कार्यालय, जिला पदाधिकारी, बांका के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA

2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक—

28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत

संख्या... 961 ... दिनांक... 05/07/22

प्रमाणित किया जाता है कि बाँका जिले में प्रयोक्ता एजेन्सी श्री संजय कुमार यादव द्वारा IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु रैखिक परियोजना निर्माण स्थान जमखूट मौजा, थाना—कटोरिया में बाँका — कटोरिया पथ के कुल—0.01278 कि०मी० में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.01278 हेक्टेयर रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक—297, दिनांक—07.03.2022 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जाँचोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका—1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक—13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान— बाँका

तिथि—

23.6.22
जिला पदाधिकारी, बाँका का
हस्ताक्षर एवं मोहर
बाँका

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as “forest” less than 75 year prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011

Place :

Dated :

23.6.22
District Magistrate
जिला पदाधिकारी
and Office Seal



समाहरणालय बांका
(कल्याण शाखा)

पत्रांक—961/क0

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
बांका।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

बांका, दिनांक 05/07/2022.

विषय :- बांका जिलान्तर्गत श्री संजय कुमार यादव द्वारा जमखूँट मौजा के खाता संख्या-09, खेसरा संख्या-310, थाना संख्या-201/1, थाना-कटोरिया में बांका-कटोरिया पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन(संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.01278हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रमाण-पत्र भेजने के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक-297, दिनांक-07.03.2022.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र के संबंध में बांका जिलान्तर्गत श्री संजय कुमार यादव द्वारा जमखूँट मौजा के खाता संख्या-09, खेसरा संख्या-310, थाना संख्या-201/1, थाना-कटोरिया में बांका-कटोरिया पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन(संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.01278हे0 वनभूमि के शैखिक विकास परियोजना हेतु प्रमाण-पत्र का मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक—यथोक्त।

विश्वासभाजन

12
05-07-22
जिला कल्याण पदाधिकारी
बांका।